

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.19(11)शिक्षा-2 / 2019 पार्ट-3 जयपुर, दिनांक-09.02.2022 एवं इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 20.02.2018 के कम में स्थामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों के लिए जारी पदस्थापन आदेश में घटनित निम्नांकित कार्मिक का पदस्थापन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम एवं मूलपद	प्रतिनियुक्ति पर चयनित पद एवं स्थान	निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एवं दिनांक	कम संख्या
1	श्रीमती निशी जैन, व्याख्याता-जीव विज्ञान,	शैक्षिक अधिकारी, राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर	क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/प्रतिनियुक्ति/राजस्टेट ऑफन स्कूल/2018 दिनांक 20.02.2018	02

उक्त कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल कार्यमुक्त होकर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर में कार्यग्रहण कर पालना सुनिश्चित करें।

(ज्ञ)

(काना राम)

आई ए एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/ समसा-मॉडल स्कूल /2021 दिनांक-14.2.2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर को अनुमोदनाथ।
- निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक / प्रारम्भिक)।
- संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
- संबंधित अधिकारी।
- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायें।
- रक्षित पत्रावली।


राज्यपाल निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर